फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रे, झुंझुनू

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्री महेश कुमार झुंझुनू

बनाम

श्री रामजीलाल सैनी पुत्र श्री महादाराम सैनी मै0 रामजीलाल सैनी किराणा एण्ड जनरल स्टोर, न्यू बस स्टेण्ड, चिड़ावा, झुंझुनू।

प्रकरण संख्या– 19/2018 (खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.01.2020	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल. एस./359/एक्ट/2017/426/दिनांक 15.03.2017 के अनुसार मिसब्राण्डेड पाया गया है जो एफ.एस.एस.एसए की धारा 26 की उपधारा (2)(।।) का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थतियों को देखते हुये श्री रामजीलाल सैनी पुत्र श्री महादाराम सैनी मै0 रामजीलाल सैनी किराणा एण्ड जनरल स्टोर, न्यू बस स्टेण्ड, चिड़ावा, झुंझुनू पर 4,000/– चार हजार रूपये के अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। **अति.जिला कलक्टर,** **झुंझुनू**	

Scanned by CamScanner